

प्रेस-विज्ञप्तिपुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने थाना निजामाबाद व गम्भीरपुर का किया आकस्मिक निरीक्षण, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

दिनांक- 12.07.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा थाना निजामाबाद व गम्भीरपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पायी गयी, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा थाना परिसर में पुरानी इमारतों को मरम्मत कराकर साफ-सफाई करने के निर्देश दिये गये।

थाना अतरौलियादुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

दिनांक 03.07.2024 को वादी मुकदमा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि वादी की बहन को आजाद पुत्र मुन्नीलाल निवासी जहरापिपरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 249/24 धारा 87 BNS बनाम आजाद पुत्र मुन्नीलाल निवासी जहरापिपरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ व विवेचना उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 64(1) BNS की बढ़ोत्तरी की गई व अभियुक्त रामनेवास पुत्र ज्वाला निवासी ग्राम मनिकौरा थाना त्रिलोकपुर जिला सिध्दार्थनगर का नाम प्रकाश में आया है तथा विपक्षी आजाद पुत्र मुन्नीलाल निवासी जहरापिपरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम मुकदमा उपरोक्त से विलोपित किया जाता है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 13.07.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त रामनेवास पुत्र ज्वाला निवासी ग्राम मनिकौरा थाना त्रिलोकपुर जिला सिध्दार्थनगर उम्र 37 वर्ष को ग्राम बांसगांव थाना अतरौलिया से समय करीब 11.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया। पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 249/24 धारा 87/64(1) BNS थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त – रामनेवास पुत्र ज्वाला निवासी ग्राम मनिकौरा थाना त्रिलोकपुर जिला सिध्दार्थनगर उम्र 37 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1-थानाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह का0 शिवम कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलियावांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

दिनांक 05.07.2024 को वादी मुकदमा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दिया कि वादी की नाबालिक पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गयी है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 251/24 धारा 137(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ व विवेचना उ0नि0 जफर अयूब द्वारा सम्पादित की जा रही है।

दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 87 BNS व 7/8 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई व अभियुक्त लकी डकोलिया पुत्र मनोज डकोलिया निवासी ग्राम गट नं0 222 टू 226 टू 230 फ्लैट 304,ए3, प्लायटोर लंडमा, मुळशी पुणे महाराष्ट्र का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 13.07.2024 को उ0नि0 जफर अयूब मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त लकी डकोलिया पुत्र मनोज डकोलिया निवासी ग्राम गट नं0 222 टू 226 टू 230 फ्लैट 304,ए3, प्लायटोर लंडमा, मुळशी पुणे महाराष्ट्र उम्र 19 वर्ष को छितौनी मोड़ के पास से समय करीब 11.25 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 251/24 धारा 137(2)/87 BNS व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-लकी डकोलिया पुत्र मनोज डकोलिया निवासी ग्राम गट नं0 222 टू 226 टू 230 फ्लैट 304,ए3, प्लायटोर लंडमा, मुळशी पुणे महाराष्ट्र उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1- थानाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 जफर अयूब मय हमराह का0 दीपक कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

10 हजार रूपयें का इनामिया गोतस्कर अपराधी अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.06.24 को विनय कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह क्षेत्र मे मामूर थे कि सूचना मिली कि ग्राम नसीरपुर मे परवेज के हाता मे व हाते मे बने कमरो मे काफी मात्रा मे प्रतिबंधित पशुओ को लाकर रखा गया है तथा जिसे गाँव के कुछ व्यक्ति मिलकर वध करके उनकी मांस की बिक्री करने के फिराक मे है । इस सूचना पर विश्वास कर परवेज के हाता से 32 राशि गोवंशीय पशु 04 अदद लकड़ी का ठीहा 05 अदद चापड़ व 02 अदद छूरी बरामद हुआ तथा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 व धारा 4/25 आयूध अधि0 बनाम 1.हाजिम खान पुत्र अशहद अली उम्र करीब 19 वर्ष निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2.तौशीफ अहमद पुत्र परवेज अहमद 3.वासिक शेख पुत्र औरंगजेब 4.सलमान अहमद पुत्र परवेज अहमद 5.मुन्ना कुरैशी पुत्र पल्टू उर्फ शमशाद 6.खालिद पुत्र शमीम 7.ताहिर पुत्र हसन रजा 8.जमालु उर्फ जमालुद्दीन पुत्र अबरार 9.नईम पुत्र भुंवर उर्फ अली रजा 10.अली असगर पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू 11.तालिब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू 12.परवेज पुत्र अब्दुल हमीद 13.अबुशाद पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू 14.जावेद पुत्र नेसार अहमद 15.तारिक पुत्र इरशाद उर्फ लूजा 16.मु0 शाहिद पुत्र अलीशाह निवासीगण नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 17.शत्रुधन यादव उर्फ डबलू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी पतोई दफलपुरा बेलथरा रोड जनपद बलिया के पंजीकृत किया गया था ।

अभियोग उपरोक्त में नामजद वांछित ईनामियां अभियुक्त शत्रुधन यादव उर्फ डबलू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी मगई पतोई थाना भीमपुरा जनपद बलिया को दिनांक 12.07.2024 को समय 23.15 बजे गिरफ्तार किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 12.07.2024 को उ0नि0 लवकुश सोनकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शत्रुधन यादव उर्फ डबलू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी मगई पतोई थाना भीमपुरा जनपद बलिया को अवैध एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ नसीरपुर गाँव गुलवा गौरी नहर पुलिया मस्जिद के पास से समय 23.15 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 251/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शत्रुधन यादव उर्फ डबलू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी मगई पतोई थाना भीमपुरा जनपद बलिया ।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 251/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 213/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 व धारा 4/25 आयूध अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 251/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 523/2014 धारा 392/411/420 भादवि थाना भीमपुरा जनपद बलिया ।

4. मु0अ0सं0 56/2015 धारा 41/411 भादवि थाना भीमपुरा जनपद बलिया ।

5. मु0अ0सं0 66/2015 धारा 379/411 भादवि थाना भीमपुरा जनपद बलिया ।

6. मु0अ0सं0 75/2021 धारा 323/504/506 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ ।

7. मु0अ0सं0 66/2022 धारा 120बी/468/471 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना खेता सराय जनपद जौनपुर ।

बरामदगी

1. अवैध एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री लवकुश सोनकर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

2. उ0नि0 शिवकुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

3. एसओजी प्रभारी द्वितीय श्री प्रकाश शुक्ला आजमगढ़ ।

4. हेड कांस्टेबल विनोद सरोज एसओजी आजमगढ़ ।

5. हेड कांस्टेबल सत्येंद्र यादव एसओजी आजमगढ़ ।

6. हेड कांस्टेबल अभिमित तिवारी एसओजी आजमगढ़ ।

7. हेड कांस्टेबल अवधेश यादव एसओजी आजमगढ़ ।

8. कांस्टेबल धर्मेन्द्र सोनी एसओजी आजमगढ़ ।

9. कांस्टेबल मुकेश यादव एसओजी आजमगढ़ ।

10. सर्विलांस सेल सजय सिंह आजमगढ़ ।

11. का0 विरेन्द्र कुमार का0 चन्द्रकान्त थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

थाना- जहानागंज
गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.स. 361/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के वांछित अभियुक्त मोनू उर्फ जुबैर अहमद पुत्र सालमगिर अहमद साकिन बरही बड़हलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को बड़हलगंज बजार से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय खाना किया गया।

नाम पता अभियुक्त:-

मोनू उर्फ जुबैर अहमद पुत्र सालमगिर अहमद साकिन बरही बड़हलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु.अ.स. 361/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना जहानागंज आजमगढ़

मु.अ.स. 437/23 धारा 386/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

उ.नि. मदन कुमार गुप्ता थाना जहानागंज आजमगढ़

का. अमरजीत यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना सरायमीर
गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.07.24 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि में मु0अ0सं0 386/2024 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बंधित वांछित अभियुक्तगण खरेवा मोड़ पर खड़े कही जाने के फिराक में साधन का इन्तजार कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः गुफरान अहमद, अहमद व प्रदीप प्रजापति बताये। नाम पता तस्दीक होने पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक 13.07.24 समय करीब 10.22 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 386/2024 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. गुफरान अहमद पुत्र नेसार अहमद सा0 हाजीपुर कुदरत थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष

2. अहमद पुत्र अशहद सा0 हाजीपुर कुदरत थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष,

3. प्रदीप प्रजापति पुत्र सोचन प्रजापति सा0 रामराय का पुरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1-प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय थाना सरायमीर आजमगढ़

2. का0 शशिकान्त तिवारी थाना सरायमीर आजमगढ़

3. का0 सत्यम कुशवाहा थाना सरायमीर आजमगढ़

4. का0 राजेश यादव थाना सरायमीर आजमगढ़